न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 29/2020

1 मदनलाल आयु 76 साल पुत्र स्व. हीरालाल उर्फ हरिराम
2 बाबुलाल आयु 67 साल पुत्र स्व. हीरालाल उर्फ हरिराम
3 जुगलकिशोर आयु 63 साल पुत्र स्व. हीरालाल उर्फ हरिराम
जाति महाजन पेशा व्यापार व कृषि मुल निवासी ग्राम व पोस्ट बाकरा तहसील व जिला झुन्झुनू राज. हाल निवासी 53/12/2 बान बिहारी बोस रोड़, रामकिष्टोपुर, हावड़ा कोलकाता 711101 पश्चिम बंगाल।
4 विरेन्द्र कुमार उर्फ रविन्द्र आयु 58 साल पुत्र स्व. हीरालाल उर्फ हरिराम
5 जगदीशप्रसाद आयु 56 साल पुत्र स्व. हीरालाल उर्फ हरिराम जाति महाजन पेशा व्यापार व कृषि मुल निवासी ग्राम व पोस्ट बाकरा तहसील व जिला झुन्झुनू राज. हाल निवासी 53/12/2 बान बिहारी बोस रोड़, रामकिष्टोपुर, हावड़ा कोलकाता 711101 पश्चिम बंगाल।

अपीलांट

बनाम

1 झुण्डुराम आयु 69 साल पुत्र लक्ष्मणराम जाति जाट निवासी ग्राम व पोस्ट बाकरा तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।
2 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 26.02.2019 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू दावा उनवान झण्डुराम बनाम मदनलाल आदि दावा घोषणा, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा दावा संख्या 116/2017 (38/2016)

उपस्थिति :

1. श्री संदीप काजला, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विनोद गिल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 11.9.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 116/2017 में पारित निर्णय दिनांक 26.02.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन गत खसरा नम्बर 436/2 व गत खसरा नम्बर 436/3, गत खसरा नम्बर 385, गत खसरा नम्बर 386, गत खसरा नम्बर 387, गत खसरा नम्बर 433 वाके ग्राम बाकरा तहत तहसील झुन्झुनू के वर्तमान खसरा नम्बर 741 रकबा 0.47 हैक्टेयर,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

खसरा नम्बर 750 रकबा 0.90 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 751 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 752 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 753 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1241 रकबा 9.96 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1351 रकबा 1.91 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1392 रकबा 0.18 हैक्टेयर कुल रकबा 13.73 हैक्टेयर वाके ग्राम बाकरा के बाबत रेस्पोडेन्ट नम्बर 1/वादी के अपीलान्टस/प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 5 के खिलाफ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू में दावा संख्या 38/2016 व दावा संख्या 166/2017 किया जिसमें न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू ने दिनांक 26.02.2019 को निर्णय व डिक्री पारित कर उक्त जमीन में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1/वादी झण्डुराम की 1/4 हिस्से की सह खातेदारी घोषित कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1/वादी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू में दावा संख्या 38/2016 अपीलान्ट के खिलाफ पेश किया। इस दावे के समन दिनांक 14.03.2016 की पेशी के अपीलान्टस/प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 5 के खिलाफ जारी किये गये इन समनों पर यह रिपोर्ट आयी कि परिवार सहित कलकता रहते है व मकान बन्द है। इस तथ्य की जानकारी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1/वादी को थी व दावे में अपीलान्टस का सही पता दर्ज नहीं किया। इसके बाद रेस्पोडेन्ट नम्बर 1/वादी ने प्रतिवादीगण के समन अखबार में साया करवाये जो अखबार पश्चिमी बंगाल प्रान्त से प्रसारित नहीं होता। इसके बावजूद पता लगने पर अपीलान्टस/प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 5 ने श्री बाबुलाल मील अभिभाषक झुन्झुनू को अभिभाषक नियुक्त कर अभिभाषण पत्र पेश करवाया व अभिभाषण पत्र के साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का पेश करवाया। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1/वादी ने इस प्रार्थना पत्र का जवाब न देकर बहस न कर दावा दिनांक 19.01.2017 को अदम हजारी व अदम पैरवी में खारिज करवा लिया। दिनांक 19.01.2017 के रोज से 30 दिन के अन्दर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अन्दर मियाद रेस्पोडेन्ट नम्बर 1/वादी ने आदेश 9 सीपीसी के प्रावधान के अनुसार आवेदन पत्र पेश नहीं किया। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1/वादी ने दिनांक 06.06.2017 को प्रार्थना पत्र बाजदायरी तैयार कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू में दिनांक 10.07.2017 को पेश किया। इस बाजदायर के प्रार्थना पत्र के नोटिस अपीलान्टस को जारी नहीं किये गये व मियाद बाहर प्रार्थना पत्र को दिनांक 21.07.2017 को आदेश पारित कर आदेश दिनांक 19.01.2017 को अपास्त कर पत्रावली नम्बर पर लेने व नोटिस जारी करने का आदेश दिया व पत्रावली दिनांक 24.08.2017 को पेश होने का आदेश दिया। लेकिन इसके बाद निर्धारित पेशी पर पत्रावली पेशी पर नहीं ली गई। दिनांक 28.11.2017 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू ने दावा दर्ज करने व पक्षकारान को नोटिस जारी पर पेशी दिनांक 22.01.2018 दी गयी। इसके बाद दिनांक 22.01.2018 दिनांक 28.03.2018 दिनांक 25.04.2018 दिनांक 18.05.2018 दिनांक 13.06.2018 की पेशियां रीडर द्वारा दी जाना मोहर लगाकर अंकित की हुई है। दिनांक 26.07.2018 को अपीलान्टस नम्बर 1 से 4/प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 4 के खिलाफ दिनांक 28.03.2018 की पेशी की तामिल होना मानकर एक तरफा कार्यवाही का आदेश पारित कर अपीलान्टस नम्बर 5/प्रतिवादी नम्बर 5 व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2/प्रतिवादी नम्बर 6 के जवाब दावा के लिये पेशी दिनांक 29.08.2018 दी गई। इसके बाद में रीडर द्वारा पेशीयां दी जाती रही और दिनांक 26.02.2019 को विधि विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित कर दिया। इन पेशियों की सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गई थी। अपीलान्ट नम्बर 5/प्रतिवादी नम्बर 5 के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही आदेश पारित नहीं किया गया। इसके बावजूद भी विधि विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित कर दी। दावा संख्या 38/2016 में अपीलान्टस की ओर से अभिभाषक ने अभिभाषण पत्र पेश किया व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पेश किया। इस प्रार्थना पत्र का निस्तारण न कर निर्णय व डिक्री दिनांक 26.02.2019 खिलाफ कानून पारित की गयी। आदेश 3 नियम 4 सीपीसी के प्रावधान के अनुसार दावे की तमाम कार्यवाही तक अभिभाषण पत्र का अस्तित्व रहता है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

व आदेश 3 नियम 5 सीपीसी के अनुसार अभिभाषक पर तामील पर्याप्त मानी जाने का प्रावधान है। विचारण न्यायालय में अपीलान्टस/प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 5 की ओर से अभिभाषक ने अभिभाषण पत्र पेश किया था व दावा दिनांक 19.01.2017 को खारिज होने के बाद प्रार्थना पत्र बाजदायर में सुनने के लिये अपीलान्टस के अभिभाषक को नोटिस जारी नहीं किया गया व मियाद बाहर प्रार्थना पत्र को बिना अपीलान्टस को सुने ही स्वीकार करने में भूल की गई। दावा नम्बर पर लेने के बाद में भी अपीलान्टस/प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 5 अभिभाषक को पेशी की सूचना के लिये नोटिस जारी नहीं किये गये जबकि पत्रावली में अभिभाषण पत्र लगा हुआ है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 की ओर से जवाब दावा पेश हुआ व जवाब दावा में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1/वादी की 1/4 हिस्से की सहखातेदारी होने के तथ्य को स्वीकार नहीं किया गया है बल्कि प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 5 की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के तथ्य का उल्लेख जवाब दावे में किया है। इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने विवाद बिन्दु कायम नहीं किया न साक्ष्य ली न दस्तावेजी साक्ष्य लिया गया व कानूनी प्रावधान की पालना न करते हुये मनमाने तौर पर विधि विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित कर दिया जो खारिज होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस/प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 5 के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का न तो निस्तारण किया व न ह जवाब दावा पेश करने व साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया व न ही सुनवाई का अवसर दिया व न्यायिक सिद्धान्तों की पालना किये बिना ही निर्णय व डिक्री पारित कर दी जो खारिज होने योग्य है। जानकारी से अंदर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील हुई है। सम्यक तामील के उपरांत उपस्थित नहीं होने पर अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार सरकार ने कथन किया है कि ग्राम बाकरा के भूमि खसरा नम्बर 741, 750, 751, 752, 753, 1241, 1351, 1352 कुल किता 8 कुल रकबा 13.73 हैक्टेयर की खातेदारी मदनलाल, बाबुलाल, जुगलकिशोर, विरेन्द्र कुमार, जगदीश पिता हीरा जाति महाजन सादे. खातेदार दर्ज रिकार्ड है। परन्तु मौके पर खसरा नम्बर 1241 रकबा 9.96 हैक्टेयर के दक्षिण पूर्वी दिशा में बाकरा से पातुसरी जॉन वाली सड़क के उत्तर में वादी झण्डुराम पिता लक्ष्मणराम का कब्जा काश्त है। मौके पर काश्त किये हुये हिस्से पर सौर उर्जा द्वारा संचालित नलकुप एवं मकान एक छप्पर बना हुआ है। मौके पर वादी द्वारा गेहू व चना की फसल काश्त की हुई है। अपनी जांच रिपोर्ट में अंकित किया। हमने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र व मौका जांच रिपोर्ट तहसीलदार व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त राजस्व रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिससे उक्त जैर बहस भूमि में वादी का कब्जा काश्त होना मौका रिपोर्ट तहसीलदार से जाहिर है। जिसके संबंध में राज्य सरकार से प्राप्त समय–समय पर परिपत्रों के परिप्रेक्ष में वादीगण अपनी भूमि को दुरूस्त कराने का अधिकारी है। न्याय संगत के अनुसार परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग क्रमांक प 6 (7) राज–4/7712 दिनांक 10.01.2013 जयपुर के आदेशानुसार इस विभाग के आदेश क्रमांक 6 (7) राज–4/7715 दिनांक 16.10.2001 के क्रम में सिवायचक भूमियों पर दिनांक 15.07.1994 तक कृषि हेतु किये गये अतिक्रमणों नियमन करने के निर्देश जारी किये गये थे। तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा विभागीय सम सख्यक आदेश क्रमांक प 6 (7) राज–4/7712 दिनांक 11.01.2008 जारी कर दिनांक 15.07.1994 की अवधि को बढ़ाकर दिनांक 01.01.2000 किया गया है। उपरोक्त के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय नजीरे वादी द्वारा प्रस्तुत की है जो 1987 आर.आर.डी. पेज नम्बर 202 राजस्थान हाईकोर्ट तथा आरआरडी 2001 पेज 411 रेवेन्यू बोर्ड के अनुसार उपरोक्त दोनो न्यायिक दृष्टांतों में राजस्थान उच्च न्यायालय एवं रेवेन्यू बोर्ड द्वारा यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि किसी व्यक्ति का कब्जा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

समय अर्थात सम्वत 2012 में किसी कृषि भूमि पर साबित कर दिया जाता है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने से पूर्व व उक्त भूमि को काश्तकार रहा है तो इस आधार पर उसे भूमि के खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो जाते है। धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार तथा व्यक्ति काश्तकार की श्रेणी में आता है उसे खातेदार काश्तकार घोषित किया जा सकता है। उपर्युक्त सभी तथ्यों से वादी का कब्जा काश्त पूर्व में वादी के पूर्वज व बाद में वादी का कब्जा काश्त सम्वत 2012 से होना जाहिर होता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील मियाद बाहर है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का कोई संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है रेस्पोडेन्ट नम्बर 1/वादी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू में दावा संख्या 38/2016 अपीलान्ट के खिलाफ पेश किया। इस दावे के समन दिनांक 14.03.2016 की पेशी के अपीलान्टस/प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 5 के खिलाफ जारी किये गये इन समनों पर यह रिपोर्ट आयी कि परिवार सहित कलकता रहते है व मकान बन्द है। इसके बाद रेस्पोडेन्ट नम्बर 1/वादी ने प्रतिवादीगण के समन अखबार में साया करवाये जो अखबार पश्चिमी बंगाल प्रान्त से प्रसारित नहीं होता। इसके बावजूद पता लगने पर अपीलान्टस/प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 5 ने श्री बाबुलाल मील अभिभाषक झुन्झुनू को अभिभाषक नियुक्त कर अभिभाषण पत्र पेश करवाया व अभिभाषण पत्र के साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का पेश करवाया। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1/वादी ने इस प्रार्थना

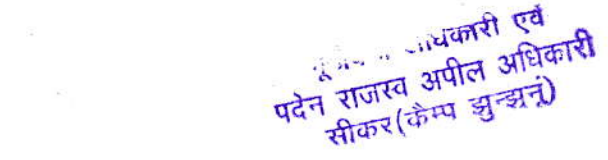

पत्र का जवाब न देकर बहस न कर दावा दिनांक 19.01.2017 को अदम हजारी व अदम पैरवी में खारिज करवा लिया। दिनांक 19.01.2017 के रोज से 30 दिन के अन्दर मियाद रेस्पोडेन्ट नम्बर 1/वादी ने आदेश 9 सीपीसी के प्रावधान के अनुसार आवेदन पत्र पेश नहीं किया। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1/वादी ने दिनांक 06.06.2017 को प्रार्थना पत्र बाजदायरी तैयार कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू में दिनांक 10.07.2017 को पेश किया। इस बाजदायर के प्रार्थना पत्र के नोटिस अपीलान्टस को जारी नहीं किये गये व मियाद बाहर प्रार्थना पत्र को दिनांक 21.07.2017 को आदेश पारित कर आदेश दिनांक 19. 01.2017 को अपास्त कर पत्रावली नम्बर पर लेने व नोटिस जारी करने का आदेश दिया व पत्रावली दिनांक 24.08.2017 को पेश होने का आदेश दिया। लेकिन इसके बाद निर्धारित पेशी पर पत्रावली पेशी पर नहीं ली गई। दिनांक 28.11.2017 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू ने दावा दर्ज करने व पक्षकारान को नोटिस जारी पर पेशी दिनांक 22.01.2018 दी गयी। इसके बाद दिनांक 22.01.2018 दिनांक 28.03.2018 दिनांक 25.04.2018 दिनांक 18.05. 2018 दिनांक 13.06.2018 की पेशियां रीडर द्वारा दी जाना मोहर लगाकर अंकित की हुई है। दिनांक 26.07.2018 को अपीलान्टस नम्बर 1 से 4/प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 4 के खिलाफ दिनांक 28.03.2018 की पेशी की तामिल होना मानकर एक तरफा कार्यवाही का आदेश पारित कर अपीलान्टस नम्बर 5/प्रतिवादी नम्बर 5 व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2/प्रतिवादी नम्बर 6 के जवाब दावा के लिये पेशी दिनांक 29.08.2018 दी गई। इसके बाद में रीडर द्वारा पेशीयां दी जाती रही और दिनांक 26.02.2019 को विधि विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित कर दिया। विचारण न्यायालय में अपीलान्टस/प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 5 की ओर से अभिभाषक ने अभिभाषण पत्र पेश किया था व दावा दिनांक 19.01.2017 को खारिज होने के बाद प्रार्थना पत्र बाजदायर में सुनने के लिये अपीलान्टस के अभिभाषक को नोटिस जारी नहीं किया गया व मियाद बाहर प्रार्थना पत्र को बिना अपीलान्टस को सुने ही स्वीकार करने में भूल की गई। दावा नम्बर पर लेने के बाद में भी अपीलान्टस/प्रतिवादीगण नम्बर 1 से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

5 अभिभाषक को पेशी की सूचना के लिये नोटिस जारी नहीं किये गये जबकि पत्रावली में अभिभाषण पत्र लगा हुआ है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 की ओर से जवाब दावा पेश हुआ व जवाब दावा में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1/वादी की 1/4 हिस्से की सहखातेदारी होने के तथ्य को स्वीकार नहीं किया गया है बल्कि प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 5 की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के तथ्य का उल्लेख जवाब दावे में किया है। इसके बावजूद भी विचारण न्यायालय ने विवाद बिन्दु कायम नहीं किया न साक्ष्य ली न दस्तावेजी साक्ष्य लिया गया व कानूनी प्रावधान की पालना न करते हुये विधि विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित कर दिया जो जो विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्टस/प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 5 के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का न तो निस्तारण किया व न ही जवाब दावा पेश करने व साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया व न ही सुनवाई का अवसर दिया व न्यायिक सिद्धान्तों की पालना किये बिना ही निर्णय व डिक्री पारित कर दी ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट का जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.09.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 11.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर